

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 1979/फाल्गुन 30, 1900
No. 125] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1979/PHALGUNA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 150 (अ)/सं. इ(सी)ओ, 1977(105).—आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधि-
नियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार इसद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 21वां संशोधन आदेश, 1979 की मंता दी
जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में, खूला सामान्य लाइसेन्स-3 में, कालभ 4 में क्रम सं. 36, क्रम सं. 37, के सामने शर्त (1) के अन्त में और क्रम सं. 40 और 41 के सामने विद्यमान अभ्युक्ति के अन्त में भी निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

“किन्तु, उनी वस्त्र, निर्मित वस्तुएं और सलाई से बनाए हुए उनी पहनावों के लिए पोत परिवहन बिलों पर आवश्यक पृष्ठांकन सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद् द्वारा किया जाएगा।”

[मिम्बल सं. 2/26/78-ई1]

का. वें शेषाद्री,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 21st March, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 150(E)/No. E(C)O, 1977/AM(105).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Twentyfirst Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977 in OGL. 3, in column 4, the following shall be added at the end of condition (i) against S. No. 36, S. No. 37; and also at the end of the existing remark against S. No. 40 and S. No. 41 :—

“Necessary endorsement on shipping bills will, however, be made by the Cotton Textiles Export Promotion Council for woollen fabrics, made ups and woollen knitwear”.

[F No. 2/26/78-E-1]

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports and Exports